# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

**राजस्व अपील / रिव्यू प्रा.पत्र / 04 / 2019 / बाड़मेर**

**प्रार्थी(रेस्पोडेंट)** — **अप्रार्थी(अपीलांट)**

1. जगदीश जोशी पुत्र स्व. वल्लभदास जोशी **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये
2. आनन्द जोशी पुत्र स्व. वल्लभदास जोशी — तहसीलदार महोदय
3. गीतादेवी पुत्र स्व. वल्लभदास जोशी — जैसलमेर
4. फतेहचन्द जोशी पुत्र स्व. किशनलाल जोशी
5. गोपालदास जोशी पुत्र स्व. किशनलाल जोशी
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. गोविन्दलाल जोशी
7. मुकेशकुमार पुत्र स्व. गोविन्दलाल जोशी

जातियान ब्राहमण निवासीगण काहला
तहसील व जिला जैसलमेर

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 74 भू राजस्व अधिनियम 1956 रिव्यू करवाने बाबत**

**उपस्थित**

1. वकील श्री जितेन्द्रकुमार गोस्वामी प्रार्थीगण आवेदक की ओर से
2. श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभापक रेस्पोडेंट की ओर से

## निर्णय

**दिनांकः– 23.03.2022**

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 74 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 रिव्यू पेश किया उसमें वर्णित तथ्यों को दौहराते वहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 01 तो 07 ब्रहमण वर्ग के सदस्य होने के कारण ग्राम काहला में प्रार्थीगण के पिता स्व. किशनलाल ग्राम काहला के पुराना खसरा संख्या 13 में कुल रकवा 123.15 वीघा भूमि खसरा वन्दोवस्त, समरी से प्रमाणित होता है व कम्परेटिव रजिस्ट्रर के मुताविक खेत तेगड़ा व साण्डेवाला खेत क्रमशः 72 वीघा व 51.15 वीघा कुल रकवा 123.15 वीघा था जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 65 व 245 में रकवा 24.11 वीघा व 40.15 वीघा कुल रकवा 65.06 वीघा प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री किशनलाल के नाम से दर्ज है तथा शेष 58.09 वीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण मान्य सहायक कलेक्टर जैसलमेर न्यायालय में मुकदमा संख्या राजस्व 57 / 2014 अनवान जगदीश जोशी वगै. वनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर वगै. प्रस्तुत किया जिसमें माननीय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा दिनांक 19.03.2015 को वादीगणों के पक्ष में निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी वाड़मेर मे एक राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 12 / 2018 / जैसलमेर वअनवान ओमप्रकाश वनाम सरकार पेश हुई जो दिनांक 15.03.2019 को अपील को खारिज

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.03.2015 को यथावत रखा गया। उपरोक्त प्रकरण में राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दर्ज करवाई गयी थी और अपना पक्ष व साक्ष्य सबूत पेश किये जिसको माननीय न्यायालय में अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2015 को यथावत रखा गया। हाजा न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 06 जो कि मृत पक्षकार था उसके विरूद्ध आदेश पारित किया। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपील को न्यायहित में अपील आदेश दिनांक 22.08.2019 को रिव्यू करने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी की तरफ से राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पोडेंटस को ग्राम काहला के खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा एवं खसरा संख्या 265 में रकबा 43.02 बीघा कुल रकबा 58.04 बीघा का खातेदार घोषित किया है जबकि उक्त खसरों पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त पुराना व नया लगातार हो यह साबित नहीं है और उक्त नये खसरे पुराने समरी के खसरा 13 से बने हो यह भी साबित नहीं है नियममित बंदोबस्त में जिसका भी कब्जा काश्त भूमि पर था उसको उस भूमि का खातेदार घोषित किया गया, विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त नहीं होने से उक्त भूमि को सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट विवादग्रस्त भूमि पर कभी कभार अतिक्रमण होने से अतिक्रमी को खातेदारी घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध तृतीय पक्षकार द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी के साथ अपील पेश की गई जो 12/2018 नंबर पर दर्ज हुई। जिसमें राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में स्पष्ट किया कि "अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के प्रकरण संख्या 57/2014 बअनवान जगदीश जोशी वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध नियमानुसार अपील पेश करने की कार्यवाही की जाऐगी"। हाजा न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया। लिहाजा निर्णय विधि सम्मत है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र के अधीन वाला निर्णय पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र नामंजूर किया जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वहस पर मनन किया। **आदेश 47 के प्रावधान मुताबिक पुनर्विलोकन का दायरा(परिक्षेत्र) या गुंजाईश बहुत सीमित है।** इसके लिए जो आधार बताये है उनमें से

राजस्व अपील अधिकारी
जैसलमेर

**पहला** हस्तगत में कोई नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य का आवेदन में कोई जिक्र नहीं है।

**दूसरा** किसी भूल या गलती के कारण, जो अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर प्रकट होती हो, ऐसी कोई भूल या **गलती रिव्यू के आवेदन के अधीन वाले निर्णय में दृष्टिगोचर नहीं होती।**

न्यायालय हाजा के निर्णय के संबंध में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत आवेदन में उठाई गई है उनके संदर्भ में निर्णय देखा गया। अपील संख्या 12/2018 में राजकीय अभिभाषक की बहस में स्पष्ट आया है कि "अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के प्रकरण संख्या 57/2014 बअनवान जगदीश जोशी वगै. वनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध नियमानुसार अपील पेश करने की कार्यवाही की जाऐगी"। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2019 को निर्णय पारित करते हुए आदेश दिये है कि रेस्पोडेंट संख्या 09 व 10 की ओर से इस निर्णय के संबंध में आवश्यक समझी जाने पर सक्षम स्तर पर चाराजोही की स्वतंत्रता है। सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने का अधिकार सुरक्षित था।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में उजर किया कि माननीय न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा तथ्य व सबूत को तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत किया और रेस्पोडेंट संख्या 06 जो कि मृत पक्षकार था उसके विरूद्ध आदेश पारित किया जबकि अपील संख्या 10/2019 की आदेशिका दिनांक 19.07.2019 पर रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट संख्या 06 के फौत होने की सूचना न्यायालय में पेश की तथा बाद सुनवाई दिनांक 22.08.2019 को रेस्पोडेंट संख्या 06 के कायम मुकाम दोनों रेकर्ड पर होने उसे नाम विलोपित करने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22. 08.2019 मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित नहीं किया गया।

रिव्यू के लिए **अन्य कोई पर्याप्त कारण न्यायालय को दृष्टि में नहीं आया है** जो इसका आधार बन सके। लिहाजा वह मंजूर करने योग्य नहीं है। प्रस्तुत रिव्यू आवेदन विधि के प्रावधानों के आलोक में अनुज्ञात नहीं होने एवं समुचित आधारों एवं कारणों के अभाव में खारिज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर